

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 521] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2017/आषाढ़ 2, 1939 No. 521] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2017/ASHADHA 2, 1939

> वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड सं. 56/2017-सीमाशुल्क (गै.टै.)

> > नई दिल्ली, 23 जून, 2017

सा.का.िन.630(अ).--सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के उपवाक्य (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, भारत सरकर, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 61/94-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994, जिसे का.आ. 828 (अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है. यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, केरल राज्य से संबंधित क्रम सं. 9 के समक्ष, कॉलम 3 और 4 में मद (ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा. यथा :--

(3)	(4)
'(घ) कन्नूर	आयातित माल की उतराई और निर्यात माल या इसी श्रेणी के माल की लदाई"

[फा.सं. 520/34/2015-सीमा श्ल्क VI]

बि. कोन्थौजम, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना सं. 61/94-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 को का.आ. 828 (अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 83/2016-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 9 जून, 2016, जिसे सा.का.िन. 589 (अ), दिनांक 9 जून, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

3886 GI/2017 (1)

#### MINISTRY OF FINANCE

### **Department of Revenue**

(Central Board of Excise and Customs)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 23<sup>rd</sup> June, 2017

No. 56/2017-Customs (N.T.)

**G.S.R. 630(E).--** In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1), read with sub-section (2) of Section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 61/94(NT)-CUSTOMS, dated the 21<sup>st</sup> November, 1994, published in the Gazette of India, *vide* number S.O. 828 (E), dated the 21<sup>st</sup> November, 1994, namely:--

In the said notification, in the Table, against the serial number 9 relating to the State of Kerala, after item (c) and the entries relating thereto in columns 3 and 4, the following shall be inserted, namely:--

(3)	(4)
"(d) Kannur	Unloading of imported goods and loading of export goods or any class of
	such goods."

[F.No.520/34/2015-Cus-VI]

B. KONTHOUJAM, Under Secy.

**Note:-** The principal notification No.61/94(NT)-Customs, dated the 21<sup>st</sup> November, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 828(E), dated the 21<sup>st</sup> November, 1994 and last amended by notification number 83/2016-Customs (N.T.), dated the 9<sup>th</sup> June, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 589(E), dated the 9<sup>th</sup> June, 2016.